भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

R. 2377-III/14

1. हरि बसोर तनय ठाकुर प्रसाद बसोर (फौत)

द्वारा- वारिसान -

1. बिहारीलाल बसोर तनय स्व. श्री हरिलाल बसोर

निवासी-किशोर गंज पन्ना तह. जिला पन्ना म0प्र0

.. निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

राजेन्द्र सिंह तनय पंचम सिंह यादव

सा. किशोरगंज मुहल्ला पन्ना तह. जिला पन्ना म.प्र.

.. अनावेदकगण

2. म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959.

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है -

1. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पिता हरि बसोर द्वारा भूमि ख.नं. 40 के जुजरकबा 60x25=150 वर्गफुट परपुश्तैनी आवासीय मकान बना है एवं कब्जा है जिसमें वह सपरिवार रहते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पंचायत दहलान चौकी हल्का की भूमि है जिस पर निगरानीकर्ता के पिता स्व. हरि बसो द्वारा विधिवत निर्माण की स्वीकृति पंचायत से लेकर भवन निम किया था जिसे तहसीलदार, पन्ना द्वारा विरोधी व्यक्तियों की शिकायत पर अपीलार्थी/निगरानीकर्ता के विरुद्ध वर्ष 2008 में प्र. 157/अ-68/2006-07 कायम कर दिनांक 17.12.2008 को बेदख आदेश पारित किया गया जिसमें अनावेदक क्र.-2 को निगरानी के मकान का मालिक तहसीलदार द्वारा बदयांतिपूर्वक प्रदर्शित

(हस्तलिखित हाशिया टिप्पणी: ... 17/7/14 ... प्रस्तुत ... 17/7/14; 21.7.14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(13)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2377–तीन/2014 **जिला पन्ना**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
08–04–15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–10–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अतिक्रमण हटाने का आदेश पूर्व में हो चुका है जो अंतिम हो चुका है । अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–5–09 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई जिसमें अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं । जिसके विरूद्ध निगरानी भी अपर आयुक्त द्वारा खारिज की जा चुकी है । उक्त समवर्ती निष्कर्षो के विपरीत इस दूसरी निगरानी को सुनवाई में लिये जाने के पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	